

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/

13

/2024-25 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीती कश्यप, स0अ0-अंग्रेजी	14.07.2021	श्री राधेलाल आर्य इं0कॉ0 ऐंहन, हाथरस	श्री उमेश चन्द्र कौशिक आदर्श विद्या निकेतन इं0कॉ0, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 708-717

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 12

/ 2024-25, दिनोंक

28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विमल कुमार, स0अ0, गणित	13.02.2021	सन्त सहज बन इं0कॉ0 श्रीनगर, बाबागंज, गोंड्डा	डी0आर0 बारहसैनी इं0कॉ0, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 658-707

/ 2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/

11

/2024-25 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राहुल, स0अ0-गणित	30.12.2021	मदन मोहन मालवीय इण्टर कॉलेज, करछना, प्रयागराज।	गांधी इण्टर कॉलेज, चण्डौस, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 688-97

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 10 /2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री माता प्रसाद, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र	14-12-2016	दिग्विजय नाथ इ०का० चौक बाजार महाराजगंज।	लगसमा इ०का०, गौण्डा, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 678-87

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 09 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नागेन्द्र बहादुर सिंह, प्रवक्ता, समाज शास्त्र	31.10.2016	जनता इंकॉ0 कैला, एटा	मुर्शी गजाधर सिंह इंकॉ0 कौमरी, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 668-77

/2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 08 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती भावना कुमारी स0अ0, प्राइमरी	21.08.2015	श्री सीताराम सिंह इ0का0, गड़ौला हाथरस	श्री जगत सिंह त्यागी उ0मा0 वि0 अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 658 - 67 / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 07 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शिव विलास, प्रवक्ता	24.08.2012	लाला इन्द्र प्रकाश जनता इ0का0, बाबरी, शामली	श्री दौलतराम बारहसैनी इ0का0, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 648-57

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्थ होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्थ थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें, के आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(समचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 34 /2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संगीता कुमारी, स0अ0,	11.07.2015	आर्य कन्या इं0काँ0 सिकन्दराराज, हाथरस	सेठ हरचरणदास गर्ल्स इं0काँ0, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 910-919 /2024-25, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 25 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नौशाद अहमद, स0अ0 विज्ञान	03.02.2021	मदन मोहन मालवीय इ0का0, अण्डला, अलीगढ़	धर्म समाज इ0का0 अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 920-29

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 36 / 2024-25, दिनोंक 28, जून, 2024
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजा अग्रवाल, स0अ0, गणित	28.07.2020	मदन मोहन मालवीय इ0का0, अण्डला, अलीगढ़	धर्म समाज इ0का0 अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 330-39

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 38 / 2024-25, दिनांक 29, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजित कुमार तालान, स0अ0, विज्ञान,	10.02.2021	श्री सुशील चन्द्र मीतल इ0कां0 गौमत अलीगढ़	सर्वोदय इण्टर कॉलेज, बैना, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 50-59

/ 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 37 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार चौबे, स0अ0, सा0विज्ञान	06.12.2021	एम0एम0 इ0का0 नगीना, बिजनौर	धर्म समाज इण्टर कॉलेज, अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 540-49

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड फत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 39 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राम बाबू स0अ0, अंग्रेजी	19.08.2019	हरिराम ओंकार मल्ल खेतान इ0का0 लक्ष्मीगंज, कुशीनगर	मुंशी गजाधर सिंह, ज0इ0का0, कौमरी, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 560-69

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ५० / 2024-25, दिनांक २४, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रमोद कुमार सो0अ0, गणित	07.08.2020	ज0उ0मा0वि0 विजयपुर कुशीनगर।	श्री महेश्वर इं0कॉ0, अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ३१०-१९

/ 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ५१ / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सोनवीर सिंह, स0अ0, गणित	01.12.2021	राष्ट्रीय इ0का0, वाली निचलौल, महाराजगंज	लक्ष्मीराज गमाना इ0का0, अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ९९०-९९

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय/

५२

/2024-25, दिनांक

२४, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनेश कुमार सोअ०, विज्ञान	30.01.2019	इं०काँ० सेनापुर जौनपुर	महेश्वर इं०काँ० अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ९९०-९९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजीक, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय/

५७

/2024-25, दिनांक

28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राशिद हुसैन, स0अ0-शारीरिक शिक्षा	06-10-2005	विक्रम सेवा सदन इं0कॉ0, पिसावां, अलीगढ़	गोपीराम, पालीवाल, इं0कॉ0, अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 1040-49

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 27 /2024-25 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमरपाल सिंह, स0अ0-सामाजिक विज्ञान	05.08.2019	श्री रामचन्द्र नम्बरदार उ0मा0वि0 बुरहनाबाद एटा	मोहिनी आदर्श इण्टर कालेज बाढ़ौन अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 850 - 59 /2024-25 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ०५ / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गुलवीर सिंह, प्रवक्ता, समाज शास्त्र	21.12.2021	आदर्श जनता इं0कॉ0, रूपधनी एटा	राष्ट्रीय विद्यालय इं0कॉ0 खैर अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 628-37 / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 04 /2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हेमन्त कुमार सिंह, प्रवक्ता, गणित	28.11.2019	जी0आर0वी0 इ0कॉ0 राठ हमीरपुर	महाराणा प्रताप सिंह, इ0कॉ0 सुजावलपुर हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 618 - 27 /2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 24 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आलोक चन्द्र आजाद, स0अ0 गणित,	11.12.2021	सरस्वती इ0का0, उमरी, पौधनरामपुर, सुलतानपुर	श्री गेंदा सिंह किसान इ0का0 नयाबांस लाखनू हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 818-29

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 23 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती भक्ति साधना अग्रवाल स0अ0 (संगीत गायन)	22.08.2022	शिक्षा सदन कन्या इ0का0, मुजफ्फरनगर	चिरंजीलाल बालिका इण्टर कॉलेज, अलीगढ़	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 808-17 / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 22 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती गरिमा सिंह, स0अ0, गृह विज्ञान	14.08.2019	कृषक विद्यापीठ इ0कॉ0, भोगांव मैनपुरी	टीकाराम कन्या इ0कॉ0 अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 798-807

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 21 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रमोद कुमार, स0अ0, संस्कृत	02.12.2020	इं0कॉ0 सेनापुर जौनपुर	डी0ए0बी0 इं0कॉ0 अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 788-97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 20 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विवेक सिंह, स0अ0, विज्ञान	17.02.2021	आदर्श उ0मा0वि0, बरगदवां, धोषण, बस्ती	विक्रम सेवा सदन इं0कॉ0, पिसावां अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 778-87

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 19 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक कुमार तोमर, स0अ0, कृषि विज्ञान	07.08.2019	रानी आवंतीबाई इं0कॉ0 मारहरा एटा।	डी0ए0वी0 इं0कॉ0, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 768-77

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय/ 18 /2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गोपाल सिंह, स0अ0 सा0 विज्ञान	01.09.2013	श्री सीताराम सिंह इ0कॉ0 गाडौला, हाथरस।	रघुवीर सहाय इ0का0 अलीगढ।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 758-67

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय/

17

/2024-25, दिनांक

28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुरारी लाल गुप्ता स0अ0, गणित	23.10.2020	श्री दुर्गा उ0मा0वि0, आजमगढ़।	हीरालाल बारहसैनी इं0काँ0, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय /

748-57

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय/

16

/2024-25, दिनांक

28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रजनी यादव, स0अ0, सा0विज्ञान	10.09.2013	कौशल्या गर्ल्स इ0कॉ0 मुरादाबाद।	महरानी लक्ष्मीबाई इ0कॉ0 एटा।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 739-47

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 15 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशीष अग्निहोत्री, स0ओ, संस्कृत	14.11.2018	उ0मा0विद्यालय हुसैनपुर मैनपुरी	श्री उमेश चन्द्र कौशिक आदर्श विद्या निकेतन इ0कॉ0 हाथरस।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

/2024-25, तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 728-37

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 14 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती भावना शर्मा, स0अ0, जीव विज्ञान	20.10.2020	चेतराम हरियाणा इ0कॉ0, डिबाई बुलन्द शहर	डी0ए0बी0 इ0कॉ0 अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 718-27

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 32 /2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कल्पना कुमारी स0अ0 प्राइमरी	14.09.2015	श्री नेहरू स्मा0 भगवान दास इ0का0 मैण्डू हाथरस	डी0आर0बी0 इ0का0 हाथरस	श्रीमती उमा वर्मा (स0अ0) के स्थानान्तरण से फलित रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 850-99

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 31 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रतिमा यादव, स0अ0,	14.09.2016	श्री सुखदेवी बालिका उ0मा0वि0, मन्दिर महेवा, इटावा	संस्कृत कन्या इं0कॉ0, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 880-89

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 30 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सरिता, स0अ0 गणित	16.08.2019	महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इ0कॉ0, नगर पालिका परिषद एटा	धर्म समाज इ0कॉ0, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 870-79

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 28 / 2024-25, दिनोंक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनोंक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार, स0अ0, गणित	29.11.2021	बिहारी लाल भारती इ०कॉ० पाली मुकीमपुर अलीगढ़	डी0ए0बी0 इ०कॉ० अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 860-69

/2024-25, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगें, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थें। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),
उप शिक्षा निदेशक (मा०-३),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / २६ / 2024-25, दिनांक २९, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री योगेन्द्र सिंह स0अ0 प्राइमरी	04.01.2017	वी0सी0, झूरिया, उ0मा0वि0, हाथरस	श्री जगत सिंह त्यागी उ0मा0वि0, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ८५०-५९ / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 06 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आरती शर्मा, प्रवक्ता, हिन्दी	23.03.2012	जनता इंडा कॉ 0 पतेई खालसा, अमरोहा	टीकाराम कन्या इंडा कॉ 0 अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 638-47

/ 2024-25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 25 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डॉ० भेद प्रकाश सिंह, स0अ0, चित्रकला	18.08.2022	श्री तुलाराम इ0कॉ0 मलपुरा, आगरा	एस0बी0जे0, इ0कॉ0 बिसावर, हाथरस।	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 830-39

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 33 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती उमा वर्मा स0अ0 प्राइमरी	20.08.2015	डी0आर0बी0 इ0कॉ0 हाथरस	श्री नेहरू स्मा0 भगवान दास इ0का0 मैण्डू हाथरस	श्रीमती कल्पना कुमारी (स0अ0) के स्थानांतरण से फलित रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 900-909

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचेत),
उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / ७३ / 2024-25, दिनांक १३, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनीत कुमार, प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र	12.11.2018	अविनाशी सहाय आर्य इं0कॉ0, एटा	महेश्वर इं0कॉ0 अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 608-17

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।


(रामचैत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 360 / 2024-25, दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रमती कविता उपाध्याय, प्रवक्ता- अंग्रेजी	03.12.2021	चेतराम सिंह, इण्टर कॉलेज, नरौरा, एटा।	के0एण्ड एस0आर0एम0बी0 इण्टर कॉलेज, अतरौली, अलीगढ़।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य (1) द्वितीय / 4172 - 4183

/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाए। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवा पंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के सन्देह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत),

उप शिक्षा निदेशक (मा0-3),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।